



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर/अनु.वाहन/2023-24/453/169


दिनांक :- 05/3/2024

कार्यालय आदेश

01 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 (एक वर्ष) के लिए मण्डल कार्यालय के अधीनस्थ वृत्त/खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों के लिये टैक्सी वाहन अनुबंध पर लगाये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FL/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 की शर्तों व मण्डल की शर्तों के अनुसार टैक्सी वाहन (कारों) की दरें मण्डल में स्वीकृत की गयी है वाहन के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या
1	आतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर	1
2	उप आवासन आयुक्त-(वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, निदेशक परियोजना शाखा जयपुर, वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, वृत्त-अलवर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर)	10
3	आवासीय अभियन्ता-(खण्ड-पी.एच.ई.-प्रथम/द्वितीय जयपुर, पी.एच.ई. जोधपुर, खण्ड-विद्युत जयपुर, गुणवत्ता नियंत्रण जोधपुर)	5
4	आवासीय अभियन्ता - (खण्ड - झुन्झुनु/भिवाड़ी/भरतपुर/नागौर/भीलवाड़ा/अजमेर/हनुमानगढ़/अलवर/बीकानेर/कोटा)	10
5	आवासीय अभियन्ता - (खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/नवम/दशम/ग्यारह/द्वादश, तेरह, आवासीय अभियन्ता कोचिंग हब, परियोजना शाखा, जयपुर)	13
	निम्नलिखित वृत्त कार्यालयों को एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियन्ताओं के लिए। वृत्त-प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, उदयपुर।	3
		कुल वाहन 42

- वाहन प्रदाता/फर्म को 1000/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
- वृत्त एवं खण्ड कार्यालय के अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है, अपने स्तर पर बजट आवंटन सुनिश्चित करवाये।
- अनुबन्धित वाहन अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी। एवं उक्त दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध की शर्तें, मण्डल की शर्तों के अनुसार ही होगी जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी, (भण्डार) को भिजवाये।


लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

कमश:.....2

(2)

संचालित वाहनों का भुगतान वृत्त/खण्ड स्तर पर किया जायेगा बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति लगाना आवश्यक है।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

3.
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपियां :-

1. निजी-सचिव अध्यक्ष/निजी-सचिव आवासन आयुक्त, रा.आ.म. जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त वृत्त रा.आ.म. जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... रा.आ.म. जयपुर।
4. लेखाधिकारी (भुगतान) रा.आ.म. जयपुर

लेखाधिकारी (स्तर)
लेखाधिकारी (स्तर)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर